



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 166 /नियोजन अनुभाग/2020

दिनांक 21-3-2020

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं० 21/2020/531/आठ-1-20-106विविध/2018 दिनांक 18.03.2020 के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोडेबल-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) में संशोधन करते हुए नियमावली निर्गत की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु संशोधित नियमावली प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.com से डाउनलोड की जा सकती है, जिसके प्रस्तर सं० 5.3 के अनुसार संशोधित नियमावली के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप-7अ के अनुरूप इच्छुक विकासकर्ता अपना प्रस्ताव दिनांक 23.03.2020 से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में जमा करा सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद प्राधिकरण से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

Kaushal
उपाध्यक्ष